

**TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY  
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
(REVENUE DEPARTMENT) 5, SHAM NATH MARG, DELHI.**

F. No. 7 (102)/Rev.Estt./ 93/SR./

**NOTIFICATION**

Dated: 28-6-11

1. No. F.7(102)/Rev. Estt/93/(i):- In exercise of the powers conferred by sub-clause 8 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 (Act No. 12 of 1954), read with sub-section 25 of the section 3 of the Delhi Land Reforms Act, 1954 (Act No. 8 of 1954) and section 32 (G) of the State Financial Corporations Act, 1951, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Smt. Rajni Saxena, Manager (Legal) of Delhi Finance Corporation as Tehsildar / Assistant Collector (Recovery), Grade-II for the purpose of recovery of the dues of the Corporation as arrears of land revenue, so long as she occupies this post.
2. No. F.7(102)/Rev. Estt/93/(ii):- In exercise of the powers conferred by section 3 of section 6 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 and sub-section (1) of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 as extended in the National Capital Territory of Delhi, read with sub-section 25 of the section 3 of the Delhi Land Reforms Act, 1954 (Act 8 of the 1954) and section 32 (G) of the State Financial Corporations Act, 1951, the Hon'ble Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Smt. Rajni Saxena, Manager (Legal) of Delhi Finance Corporation to Assistant Collector (Recovery), Grade-II for the purpose of recovery of the dues of the Corporation as arrears of land revenue, so long as she occupies this post.

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE LIEUTENANT GOVERNOR  
OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI.

(Kuldeep Singh Gangar)

Addl. Secretary (Revenue)

Dated: 28-6-11

No.F. 7 (102)/Rev.Estt./ 93/SR./

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. Dy. Secretary(GAD) Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya New Delhi along with two copies of Notification in English & Hindi for publication in Part-IV, Delhi Extra Ordinary Gazette.
2. The Asstt. General Manager (P), Delhi Financial Corporation (A Govt. of Delhi undertaking), Plot No. 37-38, Pankha Road Institution Area, D-Block, Janak Puri, New Delhi-110058.
3. The System Analyst, Revenue Department with the request to upload the notification on the website of this department.
4. Guard file.

(Rajiv Kumar)

Sub Divisional Magistrate -I (HQ)

Rbansal  
17/7/2011  
Programmer

दिल्ली राजपत्र (असाधारण) के भाग 4 में प्रकाशनार्थ  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार  
(राजस्व विभाग)  
5, शाम नाथ मार्ग , दिल्ली

सं०. एफ.07/102/रा.स्था./93/ एस.आर/

84

दिनांक :

अधिसूचना

सं०. एफ.07/102/रा.स्था./93 (i) :-दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 (1954 की अधिनियम संख्या 8) की धारा 3 की उपधारा 25 तथा राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 की धारा 32 (जी) के साथ पठित दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम 1954 (1954 की अधिनियम संख्या 12) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल श्रीमती रजनी सक्सेना मैनेजर (लीगल), दिल्ली वित्त निगम को जब तक वे इस पद पर बने रहते हैं, निगम से संबंधित भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली करने हेतु तहसीलदार/सहायक कलेक्टर (वसूली), द्वितीय श्रेणी नियुक्त करते हैं

सं० एफ. 7/102/रा.स्था./93/(ii)-दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 (1954 की अधिनियम संख्या 8) की धारा 3 की उपधारा 25 तथा राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 की धारा 32 (जी) के साथ पठित तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यथाविस्तारित पंजाब भूराजस्व अधिनियम 1887 की धारा 6 की उपधारा 3 और उत्तर प्रदेश भूराजस्व अधिनियम 1901 की धारा 15 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल श्रीमती रजनी सक्सेना मैनेजर (लीगल), दिल्ली वित्त निगम को जब तक वे इस पद पर बने रहते हैं, निगम से संबंधित भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली करने हेतु सहायक कलेक्टर (वसूली), द्वितीय श्रेणी नियुक्त करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश तथा नाम पर

कुलदीप सिंह गंगर

( कुलदीप सिंह गंगर )  
अति. सचिव (राजस्व)

सं०. एफ 07/102/रा.स्था./93/ एस.आर/

84

दिनांक :

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. उपसचिव; सा. प्रा.विभाग, रा. रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग 4 में प्रकाशनार्थ अधिसूचना की दो प्रतियां अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद सहित ।
2. सहायक उप-प्रबंधक (पी), दिल्ली वित्त निगम (दिल्ली सरकार का उपकर्म ), प्लॉट नम्बर 37-38, पंकखा रोड इंसट्रूशियन एरिया, डी-ब्लॉक, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 ।
3. प्रणाली विश्लेषक (System Analyst) राजस्व विभाग को इस प्रार्थना के साथ की वे इस अधिसूचना को विभाग की वेबसाईट पर डाल दें ।
4. गार्ड फाइल ।

राजीव कुमार

(राजीव कुमार )  
उपमण्डलीय दण्डाधिकारी ( मु०-1 )